अपने अधिकार जानें

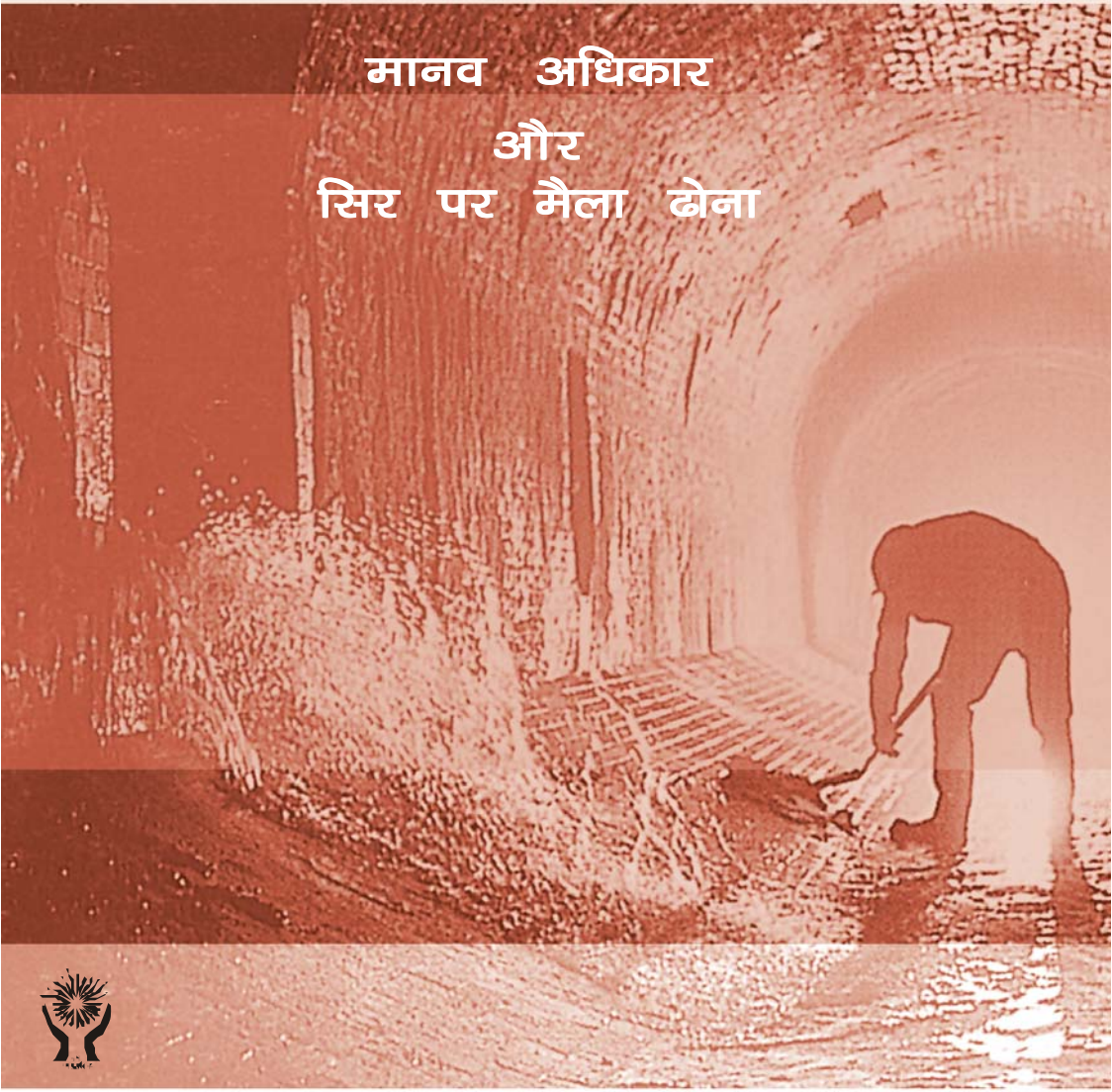

मानव अधिकार और सिर पर मैला ढोना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

ekuo vf/kdkj
rFkk
fl j i j eyk <kuk

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली –110001

अपने अधिकार जाने :
मानव अधिकार तथा सिर पर मैला ढोना

इस प्रकाशन का आशय, मूल मानव अधिकारों को बेहतर रूप से समझने में पाठकों की सहायता करना है।

© 2011, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली–110001

प्रिंटर्स : वीरेंद्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड करोल बाग, नई दिल्ली –110005

विषय-सूची

1. प्रस्तावना
2. विधिक ढांचा
3. सिर पर मैला ढोने वालों का परिमाण
4. वर्ष 1993 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हस्तक्षेप
5. सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें
6. राज्य मानव अधिकार आयोगों या अन्य आयोगों/समितियों/संवैधानिक निकायों द्वारा हस्तक्षेप
7. की गई पहलें

प्रस्तावना

सिर पर मैला ढोने का अर्थ है "शुष्क शौचालयों" अर्थात आधुनिक फ्लश सिस्टम रहित शौचालयों से मलमूत्र (नाईट सॉयल) हटाना। सिर पर मैला ढोने में मानव मलमूत्र को एकत्रित करने में में झाड़ू तथा टिन की प्लेट का प्रयोग शामिल है। मलमूत्र को टोकरियों में इकठ्ठा किया जाता है जिसे सफाई करने वाले अपने सिर पर रखकर ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जो कई बार पाखाने से कई किलोमीटर दूर होता है। मैला ढोने के कार्य से मुक्त होने का अधिकार एक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार है और राज्य का यह दायित्व है कि वह सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करे और उपयुक्त पहल करते हुए सिर पर मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करें।

2. विधिक ढांचा :

वैधानिक अधिनियमन

- ***सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993:*** सरकार ने सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया जिसमें सफाई कर्मचारियों के नियोजन के साथ–साथ शुष्क शौचालयों के निर्माण या जारी रहने तथा वाटर सील्ड शौचालयों के निर्माण तथा रखरखाव के विनियमन तथा इससे संबंधित मामलों पर प्रतिषेध का प्रावधान है।
- ***सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993***, को दिनांक 5 जून, 1993 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था तथा यह दिनांक 26 जनवरी, 1997 से आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और संघ शासित प्रदेशों में लागू हो गया था।
- सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम को प्रवर्तित करने की व्यवस्था करें। उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार तथा गुजरात के विधानमंडलों ने भी इस अधिनियम को अंगीकार कर लिया है।
- इस अधिनियम में, अधिनियम का उल्लंघन करने या अनुपालन में असफल रहने की स्थिति में ऐसे अर्थदण्ड जिसे 2000 रु0 तक बढ़ाया जा सकता हो सहित अथवा रहित 1 वर्ष तक के कारावास अथवा दोनों से दंडित किए

जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, पुनः उल्लंघन के मामले में उल्लंघन की पूरी अवधि के लिए प्रतिदिन 100 रु0 की दर से जुर्माने का भी प्रावध ाान है।

- ***सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955*** : अस्पर्शयता की प्रथा तथा अनुसूचित जातियों के प्रति इससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक विसंगतियों को समाप्त करने के लिए शुरुआत में अस्पर्शयता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था। इसे वर्ष 1977 में संशोधित किया गया था और अब इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है। संशोधित अधिनियम के तहत अस्पर्शयता को संज्ञेय तथा गैर–शमनीय अपराध बनाया गया और उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया।
- ***अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:*** अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए दिनांक 31.01.90 को अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया था। अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ कुछेक प्रकार के अपराधों को अत्याचार के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, दोषियों के लिए सख्त दण्डों का तथा ऐसे मामलों के तीव्र विचारण हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति होने वाले अत्या्चारों संबंधी अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय उपलब्ध कराना तथा ऐसे अपराधों एवं संबंधित मामलों या परिणामी परिस्थितियों से पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना है।

3. सिर पर मैला ढोने वालों का परिमाण

शुष्क शौचालयों तथा मानव मलमूत्र को ढोने संबंधी कार्यों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के बावजूद भी हजारों लोग अभी भी इसी कार्य से अपनी जीविका चला रहे हैं, कभी–कभी तो सरकारी विभागों में कार्य करके। हालांकि केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं तथा कुछ राज्यों ने इस प्रकार की प्रथाओं के उन्मूलन के लिए सख्त कदम उठाए हैं, फिर भी इस प्रकार की प्रथाओं के जारी रहने और राज्य सरकारों की अपनी वचनबद्धता में असफल रहने की रिपोर्ट हैं।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन तथा शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अंगीकार करने की स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने केन्द्रीय अधिनियम को अंगीकार किया है/राज्य जिनका अपना अधिनियम है।	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम (24 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र)
राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने सूचित किया है कि वे सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं/उनके यहां शुष्क शौचालय नहीं हैं।	नागालैण्ड, गोवा, मेघालय, मिजोरम, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी, चंडीगढ़ (4 राज्य तथा 4 संघ शासित क्षेत्र)

4. वर्ष 1993 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हस्तक्षेप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उस कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति के बारे में जानने ही इच्छा प्रकट की जो शुष्क शौचालयों के निर्माण के प्रतिशेध, तथा शुष्क शौचालयों को पोर–फ्लश प्रकार के शौचालयों में परिवर्तित करने के संबंध में है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के उस कार्यक्रम के बारे में भी जानना चाहा जो मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने मानव मलमूत्र को हाथ से निपटाने को अपरिहार्य बनाने वाली अपमानजनक प्रथा को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का निर्णय लिया है।

आयोग ने, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सहयोग से इस अपमानजनक एवं अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के तरीके एवं साधनों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए दिनांक 6 अप्रेल, 1999 को केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारियों सहित एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया।

आयोग ने, इस मामले को जारी रखने तथा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए

योजनाएं एवं कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु उचित सिफारिश करने और एक संगत समय–सीमा के अंदर उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय के सचिवों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों का एक दल गठित किया।

5. सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष के एक भाग के रूप में सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श के आधार पर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

क) सिर पर मैला ढोने के संबंध में सर्वेक्षण किए गए हैं जिनमें कई खामियां पाई गई हैं। इसलिए, विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से तीन वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसमें शुष्क शौचालय, सफाई कर्मचारी तथा पुनर्वास के लिए वैकल्पिक जीविका के विकल्पों को शामिल किया जाना चाहिए।

ख) सिर पर मैला ढोने वालों की परिभाषा सफाई कर्मचारियों की परिभाषा से भिन्न है तथा सभी प्राधिकरणों को सिर पर मैला ढोने वालों की उसी परिभाषा तक सीमित रहना चाहिए जो सफाई कर्मचारी नियोजन तथा शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 में दी गई है।

ग) बहुत अधिक एजेंसियों की उपस्थिति, सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन तथा पुनर्वास कार्यों में अकसर विलम्ब करती है। इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट को नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए तथा सिर पर मैला ढोने से संबंधित तीन केन्द्रीय मंत्रालयों के संयुक्त दिशानिर्देशों को प्रयासों के समन्वय एवं अभिसारिता हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किया जाना चाहिए। सिफारिश 1 में किए गए उल्लेखानुसार, राज्य स्तर पर भी सर्वेक्षण, उचित नियमों एवं विनियमों की मॉनीटरिंग करने, शुष्क् शौचालयों के परिवर्तन या विध्वंस, सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास, उल्लंघनकर्ताओं के अभियोजन हेतु एक समन्वय निकाय होना चाहिए।

घ) कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों में जगह एवं पानी की कमी के मुद्दे को यथोचित तकनीक एवं तरीकों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

ङ) राज्यों् के म्यूनिसपल तथा पंचायती उप–नियमों में शुष्क शौचालयों या वाटर सील रहित शौचालयों या सेनेटरी लैट्रीन सहित किसी भी नए मकान के निर्माण को अनुमति नहीं देने के प्रावधान होने चाहिए। विगत में बने शुष्क शौचालयों को नष्ट करने तथा उचित तकनीक के माध्यम से नई वाटर सील्ड लैट्रिन या सेनेटरी लैट्रीन का निर्माण करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलने तथा नए शौचालयों का निर्माण करने के लिए एक समय–सीमा होनी चाहिए। म्यूनीसपल निकायों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए यह एक मापदंड होना चाहिए तथा इस संबंध में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने वाली नगरपालिकाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कुछ साधन होने चाहिए।

च) सिर पर मैला ढोने वालों के पहचाने गए ऐसे परिवार जो बी0पी0एल0 कार्डस के पात्र हैं, को बी0पी0एल0 कार्डस जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

छ) बैंकों को, सिर पर मैला ढोने वालों को उनके पुनर्वास के लिए दिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

ज) राज्य सरकारों द्वारा, सिर पर मैला ढोने वालों तथा शुष्क शौचालयों के मामलों के बारे में अधिसूचित प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए। जनता द्वारा निरीक्षण करने के लिए पहचाने गए सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सूची को वेबसाईट तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इसमें छूट गया है, अधिसूचित प्राधिकारी तक पहुंच सकता है। पहचान के बाद, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिर पर मैला ढोने वाले को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए जिसके आधार पर सभी संबंधित एजेंसियां उसे वे सभी लाभ प्रदान करेंगी जिसका वह पात्र होगा।

झ) राज्य मानव अधिकार आयोग को राज्य में सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन तथा उनके परिणामी पुनर्वास की मॉनीटरिंग शुरू करनी चाहिए।

6 राज्य मानव अधिकार आयोगों या अन्य आयोगों/समितियों/संवैधानिक निकायों द्वारा हस्तक्षेप

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, शुष्क शौचालयों को नष्ट करना तथा शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में परिवर्तित करने के साथ–साथ सिर पर मैला ढोने वालों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न संबंधित स्कीमों की मॉनीटरिंग कर रहा है।

वर्ष 2007 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए ***योजना आयोग*** ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। योजना के मुख्य बिन्दू निम्नानुसार थे :

I. सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान करना
II. जहां सिर पर मैला ढोने की प्रथा प्रचलित हैं उन सभी राज्यों द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन तथा शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अंगीकार करना
III. गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता
IV. ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना
V. कार्यान्वयन के लिए पारितोषिक

7. की गई पहलें

भारत में सिर पर मैला ढोने वालों की राहत एवं पुनर्वास के लिए निम्नलिखित स्कीम हैं :

सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार स्कीम (एस ई एस आर एम एस): इस स्कीम का उद्देश्य, सिर पर मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी योजना के तहत सहायता दिया जाना बाकी है, को उनकी आय पर विचार किए बिना सहायता उपलब्ध कराना है।

'मैला ढोने वाले' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आंशिक या पूर्ण रूप से हाथ से मल तथा गंदगी साफ करने के निंदनीय एवं अमानवीय व्यवसाय में लिप्त है। मैला ढोने वाले पर आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति से है जो उनके परिवार का सदस्य है या इस तथ्य के बावजूद कि क्या वे आंशिक या पूर्ण रूप से उक्त व्यवसाय में लिप्त है, उन पर आश्रित है। मैला ढोने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके बच्चे जो 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक हैं तथा रोजगार पर नहीं है (मैला ढोने के कार्य के अलावा),

की पहचान की जाएगी तथा उनका पुनर्वास किया जाएगा।" पहचाने गए मैला ढोने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो लाभार्थियों से स्कीम के तहत निर्धारित दरों से ब्याज वसूल करेगा।

पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी): पूर्ण स्वच्छता अभियान, खुले में मलत्याग करने की प्रथा को समाप्त करने के वृहत लक्ष्य सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित कराने संबंधी व्यापक कार्यक्रम है। पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 1999 में शुरू किया गया था जब केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को मांग आधारित एवं लोक केन्द्रित बनाते हुए पुनःसंगठित किया गया था। इसमें "निम्न से शून्य सब्सिडी" के सिद्धांत को अपनाया गया जिसमें शौचालयों के निर्माण के लिए ग्रामीण निर्धन परिवारों को प्रोत्साहन के रूप में नाममात्र की सब्सिडी दी जाती है। पूर्ण स्वच्छता अभियान, पंचायती राज संस्थान, समुदाय आधारित संगठन तथा गैर सरकारी संगठनों आदि की सहभागिता सहित प्रभावी व्यवहारिक परिवर्तन हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी), क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा पर अधिक बल देता है। जिन क्षेत्रों में मुख्य हस्तक्षेप है वो इस प्रकार है – व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आई एच एच एल), विद्यालय स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा (एस एस एच ई), सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण स्वच्छता बाजार (आर एस एम) तथा उत्पादन केन्द्रों (पी सी) द्वारा प्रोत्साहित आंगनवाड़ी शौचालय। भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2010 तक खुले स्थान में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना : पूर्ण स्वच्छता अभियान में और अधिक जोश भरने के लिए भारत सरकार ने जून, 2003 में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक्स, तथा जिलों को पूर्णतः साफ–सुथरा बनाने तथा खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' नामक एक प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की। प्रोत्साहन पैटर्न, जनसंख्या मानदंड पर आधारित है। प्रोत्साहन का प्रावधान पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई) के साथ–साथ उन व्यक्तियों एवं संगठनों के लिए है जो पूर्ण स्वच्छता क्षेत्र में प्रेरक बल हैं।

मैला ढोने वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस): मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मार्च, 1992 में मैला ढोने वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस) आरम्भ की। एन0एस0एल0आर0एस0 के तहत मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों को उन पेशों/उद्योगों में प्रशिक्षण दिया गया जिनमें उनकी

रुचि थी और जो उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिला सकता था। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को 500/–रु0 प्रतिमाह की दर से वजीफा तथा लगभग 2000/–रु0 का औजार भत्ता दिया गया। पुनर्वास के लिए, अलग–अलग पेशों के लिए अलग–अलग वित्तीय पैकेज निर्धारित हैं जिनके द्वारा 50,000/–रु0 तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। एन0एस0एल0आर0एस0 के तहत भारत सरकार ने 5 से 25 मैला ढोने वालों का एक दल बनाने तथा स्वच्छता बाजारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए उत्पादन–सह–व्यापार–सह–सेवा केन्द्र शुरू करने के दिशानिर्देश तैयार किए और सभी राज्यों तथा उनकी विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) को यह दिशानिर्देश जारी किए जिसमें ऋण घटक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय एवं विकास निगम (एन एस के एफ डी सी) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

अस्वच्छ पेशों में लिप्त लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति ॥ इस योजना का उद्देश्य शुष्क शौचालयों से मैला ढोने वालों, चमड़े का काम करने वालों, चमड़ा उतारने वाले तथा झाड़ू लगाने वाले, जो पारम्परिक रूप से मैला ढोने में लगे हुए हैं, के बच्चों को प्री–मैट्रिक शिक्षा दिलाने हेतु सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस योजना को कार्यान्वित करने संबंधी दी गई जिम्मेदारी के अतिरिक्त अब 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना में प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है।

निम्न लागत स्वच्छता समेकित योजना (आई एल सी एस) : मल–मूत्र को शारीरिक रूप से उठाकर ले जाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1981 में निम्न लागत शहरी स्वच्छता हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी तथा बाद में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की गई। वर्ष 1989–90 से तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय जिसे वर्ष 2003–04 से आवास एवं शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय कहा जाता है, के माध्यम से इसका संचालन किया गया। इस योजना में, शुष्क शौचालयों को निम्न लागत वाली ट्विन पिट सेनेटरी शौचालयों में परिवर्तित करना तथा मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करके मैला ढोने वालों की मुक्ति निहित है। इस योजना को 'संपूर्ण शहर आधार' पर शुरू किया गया तथा केन्द्र सरकार की सब्सिडी और हुडको के ऋण को मिश्रित रूप से उपलब्ध कराते हुए आवास एवं शहरी विकास निगम (एच यू डी सी ओ) के माध्यम से एक समकालिक तरीके से संचालित किया गया।

सशुल्क शौचालय प्रयोग योजना

'सशुल्क शौचालय प्रयोग योजना' के तहत पैदलपथ तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, जो अपने शौचालयों का निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं, के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) को आवास एवं शहरी विकास निगम (एच यू डी सी ओ) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। परियोजना की अवधि एक वर्ष थी तथा सब्सिडी का भुगतान, प्रत्येक किस्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद देय चार समान किस्तों में किया जाना था। राशि का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, हुडको (एच यू डी सी ओ) द्वारा दी जाने वाली सत्ताइस लाख रु0 की भावी सहायता रिलीज नहीं की जा सकी। आम जनता तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग शौचालयों की सुविधाओं से वंचित रह गए।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन एस के एफ डी सी) : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन एस के एफ डी सी) को पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के समग्र सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए तथा आय सृजनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के लिए लाभार्थी सफाई कर्मचारियों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 24 जनवरी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक शीर्ष संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। एन0एस0के0एफ0डी0सी0, राज्य द्वारा संचालित एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को ऋण उपलब्ध करवाता है।

लक्षित समूह : निगम के लक्षित समूह में, "मैला ढोने वाले" – जिसका अभिप्राय संपूर्ण या आंशिक रूप से मनुष्य के मल–मूत्र को हाथों से व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों से है तथा "सफाई कर्मचारी" – जिसका अर्थ सफाई कार्य में लिप्त या नियोजित व्यक्ति तथा उसके आश्रित हैं, आते हैं।

वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए आय की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, अन्य चीजों को समान रखते हुए निगम ने आर्थिक विकास तथा

i) मैला ढोने वालों, उनमें से गरीबी रेखा से दोगुनी निम्न आय वाले लोग

ii) लक्षित समूह की महिलाएं तथा

iii) लक्षित समूह में से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी।

राज्य अनुसूचित जातियां विकास निगम केन्द्रीय प्रायोजित सहायता योजना (एस सी डी सी)

अनुसूचित जातियों की बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1978–79 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राज्य अनुसूचित जातियां विकास निगम सहायता योजना को शुरू किया गया था। वर्तमान में एस0सी0डी0सी0 26 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यह, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के वित्त के संघटन में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभा रहा है। यह, वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने, लक्षित समूहों को मार्जिन राशि ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से अनुपस्थित निवेश उपलब्ध कराने के लिए, आयोजक एवं उत्प्रेरक के रूप मे कार्य कर रहे हैं। एस0सी0डी0सी0 ने अनुसूचित जातियों के पात्र परिवारों की पहचान करने तथा उन्हें उपयुक्त आर्थिक विकास योजनाओं का बीड़ा उठाने के लिए प्रोत्साहित करने, ऋण संबंधी सहयोग के लिए इन स्कीमों को वित्तीय संस्थानों को प्रायोजित करने, उनकी कर्ज अदायगी की जिम्मेदारी को कम करने के लिए सब्सिडी तथा कम ब्याज दर पर मार्जिन राशि के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक संबंध/संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रयासों को केन्द्रित किया है।

योजना का पैटर्न (स्वरूप) : योजना का विद्यमान स्वरूप (पैटर्न) निम्नानुसार हैः

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें, राज्य अनुसूचित जातियां विकास निगम के पूंजी अंशदान में 49:51 के अनुपात में सहभागिता कर रही हैं। परियोजनाओं/योजनाओं के लागत मानक, राज्य सरकारों तथा एस0सी0डी0सी0 के नियंत्रण में हैं। इक्विटी पूंजी में केन्द्र का हिस्सा सीधे ही राज्य एस0सी0डी0सी0 को भेज दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी) के माध्यम से वित्तीपोषण करता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग :

सफाई कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधान के तहत शुरुआत में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को केवल 3 वर्षों के लिए किया गया था। राष्ट्रीय आयोग को अन्य बातों के साथ–साथ विशेष प्रकार की शिकायतों तथा सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं स्कीमों से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं। सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ विचार–विमर्श अपेक्षित है तथा विगत वर्षों में इस आयोग के कार्यकाल को समय–समय पर बढ़ाया गया है।

सिर पर मैला ढुलाई तथा सफाई के विषय पर 11 मार्च, 2011 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें

1 सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालय के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए तथा मैला ढुलाई की प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए।

2. राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुष्क शौचालयों तथा सिर पर मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास के संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डाटा से मेल खाते है। किसी भी विसंगति के पाए जाने पर राज्य सरकारों को इस मामले को मंत्रालय के समक्ष रखना चाहिए ताकि डाटा को सुधारा जा सके।

3. सिर पर मैला ढुलाई के उन्मूलन के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ अपने डाटा को मिलाने के पश्चात् प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस संबंध में एक घोषणा पत्र/अधिसूचना जारी करना चाहिए कि उनका क्षेत्र सिर पर मैला ढुलाई तथा शुष्क शौचालयों से मुक्त है। इसकी एक कॉपी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए।

4. आज तक सिर पर मैला ढ़ोने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है। प्रत्येक ऐसे जिले में एक सिंगल विन्डो की स्थापना की जानी चाहिए तथा एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जहाँ सिर पर मैला ढ़ोने वालों की पहचान की गई हो, ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया आसान हो सके तथा उसमें तेजी लाई जा सके। राज्य स्तर पर सिर पर मैला ढुलाई पर एक नोडल एजेंसी की भी स्थापना की जानी चाहिए।

5. हाथ से मैला सफाई की पद्धति को खत्म करने के लिए सेप्टीक टैंक को यंत्र चालित बनाया जाना चाहिए। मैन होल ऑपरेशन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय तथा दक्ष प्रशिक्षण सहित तकनीक/यांत्रिक प्रणाली को अपनाने की जरूरत है।

6. हाथ से काम करने की संभावना को कम–से–कम करने के लिए रेलवे को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सफाई सुविधाओं की एक अत्याधुनिक तकनीक विकसित करनी चाहिए।

7. सफाई/मैन हॉल ऑपरेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय (गुजरात) द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों को संबंधित एजेंसियों/नियोक्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सफाई कर्मचारियों को बचाया जा सके।

8. गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं को मैन होल में काम करने वाले मजदूरों/मैला ढ़ोने वालों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण, पोशाक, सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना चाहिए। मजदूरी का ढाँचा पूरे देश में सफाई कर्मियों के लिए एक समान होना चाहिए।

9. सभी सफाई कर्मचारियों, चाहे वे स्थाई, पार्ट टाइम अथवा अनुबंध पर हों, तथा सभी हरिजन बस्तियों के आवासीय क्षेत्र में मोबाइल वाहनों के जरिए विशेष स्वास्थ्य जाँच किया जाना चाहिए जिसके पश्चात् चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

10. सफाई कर्मचारी की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उसके आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार तत्काल रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। मृतक के परिवार को कम–से–कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

11. सिर पर मैला ढ़ोने वालों को स्वरोजगार (एस आर एम एस), सर्व शिक्षा अभियान, (एस एस ए), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005 (नरेग्स) आदि जैसी योजनाओं में जनसंख्या के इस वर्ग को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इन योजनाओं की सफलता को सिर पर मैला ढ़ोने वालों तथा सफाई कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में इन योजनाओं के कारण आने वाले बदलाव से आंका जाना चाहिए।

12. इस वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसे आसान बनाने हेतु अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ

उन्हें निःशुल्क शिक्षा तथा अध्ययन सामग्री, आवास एवं भोजन आदि उपलब्ध हो। सिर पर मैला ढ़ोने वालों के बच्चों के लिए वित्तीय मदद को पर्याप्त रूप से बढ़ाये जाने की जरूरत है क्योंकि वे बहुत पीछे रह गए हैं तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नियमित रूप से सहायता की जरूरत है।

13. ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सफाई के काम के लिए नियुक्त किए गए लोग पूर्व में मैला ढ़ोने वाले किसी अन्य सफाई कर्मचारी को यह काम सौंप देते हैं। इस प्रकार यह शोषण अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, जारी रहता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसे अपराध मानते हुए इसके लिए जिम्मेवार लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

14. इस मुद्दे के लिंग घटक के समाधान के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मामलों जैसी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यापक उपाय किए जाने चाहिए।

15. मेहतरों के बच्चों को छात्रवृत्ति तथा उनकी विधवाओं को पेंशन के साथ–साथ पुनर्वास किए गए मेहतरों को बी पी एल कार्ड दिया जाना चाहिए।

16. मेहतरों के पुनर्वास के लिए मौजूदा व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक व्यावहारिक एवं यथार्थ बनाया जा सके।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली–110001

सुविधा केन्द्र (मदद): 011-23385368
मोबाईल नं. : 9810298900 (शिकायत के लिए)

फैक्स : (011): 23386521 (शिकायतें) 23384863 (प्रशासन)/
23382734 (जांच–पड़ताल)
ईमेल : covdnhrc@nic.in (General) / jrlaw@nic.in(Complaints)
बेबसाइट : www.nhrc.nic.in

अपने अधिकार जानें

हो सकता है मेरा पुनर्जन्म न हो, लेकिन
यदि ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरा
जन्म सिर पर मैला ढोने वाले
परिवार में हो ताकि मैं उन्हें
इस अमानवीय, अस्वास्थ्यकर और
घृणास्पद प्रथा से छुटकारा दिला सकूँ।

–महात्मा गांधी

अपने अधिकार जानें

मानव अधिकार और सिर पर मैला